न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 107/2015

बउनवानः–

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

...प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. श्रीमति रेणु शर्मा पत्नि रविन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मांगरोल
2. श्रीमति श्यामलता पुत्री मिश्रीलाल ब्राहमण हाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी छबडा तह0 छबडा
3. श्रीमति आशा पत्नि त्रिलोकीचन्द जाति महाजन नि0 बारां
4. नगर पालिका मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी : तहसीलदार मांगरोल(लैण्ड होल्डर) पैरोकार सरकार उपस्थित

वकील अप्रार्थीगण : श्री अजीत कुमार जैन व श्री कुलदीप जाजू अप्रार्थी कम संख्या 1, श्री के0 के0 सोनी अप्रार्थी कम संख्या 3

दायरा दिनांकः 28.09.2015 निर्णय दिनांक : 22.02.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मांगरोल के साबिक खसरा नं0 431 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा के भू0 प्रबंध विभाग द्वारा सम्वत 2044–63 की मिसल बन्दोबस्त(जमाबंदी) में खसरा नं0 1046 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 1047 रकबा 1.08 है0, खसरा नं0 1048 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 1049 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 1050 रकबा 0.12 है0 किता 5 रकबा 1.79 है0 भूमि मिश्रीलाल पुत्र भैरूलाल जाति ब्राहमण सा0 मांगरोल के खाते दर्ज की गई। जिसे विवादित आराजी कहा गया है। ग्राम मांगरोल में भू0प्रबंध विभाग द्वारा खसरा नं0 431 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा के है0 0.81 है0 बनते है उसके स्थान पर मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नं0 1046 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 1047 रकबा 1.08 है0, खसरा नं0 1048 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 1049 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 1050 रकबा 0.12 है0 किता 5 रकबा 1.79 है0 भूमि मिश्रीलाल पुत्र भैरूलाल जाति ब्राहमण के खाते दर्ज की गई जो गलत है। अर्थात राज्य सरकार के 0.98 है0 भूमि सिवायचक से कम करके खातेदार को लाभ पहुचाया है इसलिए दुरूस्ती योग्य है। खातेदार मिश्रीलाल पुत्र भैरूलाल की मृत्यु के उपरान्त उक्त खाता चन्द्रप्रकाश पुत्र मिश्रीलाल श्यामलता पुत्री मिश्रीलाल जाति ब्राहमण के खाते दर्ज हुआ उक्त खाते में से विकय व 90(ब) आदि से 0.52 है0 भूमि वर्तमान में आशा पत्नि त्रिलोकचन्द जाति महाजन नि0 बारां 0.04 है0 भूमि ... में से चन्द्रप्रकाश द्वारा अपना हि0 1/2 का

[illegible] श्रीमति रेणु शर्मा पत्नि रविन्द्र कुमार जाति ब्राहमण सा0 मांगरोल किया गया जिसका विभाजन होकर [illegible] में श्रीमति रेणु शर्मा के खसरा नं0 1046 रकबा 0.20 है0 पूर्वी हिस्सा, खसरा नं0 1047 रकबा 0.42 है0 पूर्वी हिस्सा तथा श्यामलता के खसरा नं0 1046 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 1047 रकबा 0.44 है0 का पश्चिमी हि0 दर्ज खाता है इस कारण उपरोक्त सभीा खातेदारो को प्रतिवादी बनाया गया है। खातेदार चन्द्रप्रकाश पुत्र मिश्रीलाल की वास्तविक जमीन साबिक खसरा नं0 431 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा होने से उक्त का रकबा 0.81 है0 बनता है जबकि भू0–प्रबंध विभाग द्वारा इनको उक्त भूमि के स्थान पर किता 5 रकबा 1.79 है0 भूमि खाते दर्ज की जो 0.98 है0 भूमि खाते से अधिक दर्ज की गई जो सिवायचक खाते से दर्ज की गई इससे सरकारी खाते में उक्त भूमि कम की जाकर राज्य सरकार को हानि पहुचाई अतः बढी हुई भूमि 0.98 है0 को वापिस सरकारी सिवायचक खाते में दर्ज कराने हेतु एलआरएक्ट की धारा 136 के तहत यह वाद लाया है। दुरूस्ती नही हुई तो राज्य सरकार को 0.98 है0 भूमि की हानि होगी। तथा खातेदार को उक्त भूमि का अनुचित लाभ होगा। उक्त भूमि आबादी के पास होने से बेश्कीमती है जिसमें मकान आदि बनाये जा रहे उस पर भी रोक लगाई जावें। वर्तमान खातेदारो अर्थात प्रतिवादीगणो के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि जब तक उक्त प्रकरण में रकबे की दुरूस्ती नही हो जावे तब तक विवादित भूमि में से विकय व मकानात आदि नही बनाये जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 28.09.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण कम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अजित कुमार जैन व कुलदीप जाजू ने व अप्रार्थी कम 3 की ओर से अधिवक्ता श्री के0 के0 सोनी ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी कम 1 द्वारा आज दिनांक तक जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किये जाने से अवसर जवाब समाप्त किया गया। अप्रार्थी कम 2 व 4 को बार–बार अवसर दिये जाने तक भी आज दिनांक तक अनुपस्थित होने से अप्रार्थी कम 2 व 4 को एक्स पार्टी कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी कम 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वास्तविक खातेदार मिश्रीलाल पुत्र भैरूलाल जाति ब्राहमण मांगरोल से जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 16.03.2001 को अप्रार्थी कम 3 ने आराजी खसरा नं0 1048 की 0.15 है0, खसरा नं0 1049 रकबा 0.07 है0 एवं खसरा नं0 1050 की 0.12 है0 कुल 0.34 है0 कय की थी इसके बाद दिनांक 13.06.2001 को खातेदार के प्रस्ताव पर आराजी खसरा नं0 1047 रकबा 1.08 है0 में से 0.22 है0 पूर्वी ओर की जमीन का कय किया था इस प्रकार प्रतिवादी कम 3 ने कुल 0.56 है0 आराजी खातेदार से सन् 2001 में कय की थी तब से वह अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है वक्त रजिस्ट्री पक्षकार प्रतिवादी कम 3 को साबिक आराजी के रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा का ज्ञान नही था यह तथ्य वास्तविक खातेदार विकेता ने केता से छिपाया फिर भी केता द्वारा की गई आराजी मूल रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा से कम है। अप्रार्थी कम 3 की कोई चूक नही है उसका विकय पत्र किसी भी

[illegible] की श्रेणी में नही आता है। अप्रार्थी कम 3 सदभाविक केता है जिसने मूल खातेदार की [illegible] आराजी में मात्र 0.56 है0 आराजी सन 2001 में कय की है जिस पर वह काबिज है तथा इस उक्त आराजी के कुछ हिस्से में उसके द्वारा केरोसिन पम्प बनाकर मुताबिक रेवेन्यू रेकार्ड व नक्शे में तरमीम करवाकर स्वयं को काबिज किया है तथा वह मुताबिक रेकार्ड सन् 2001 से अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है. कालान्तर में मूल खातेदार मिश्रीलाल के वारिसान द्वारा किस प्रकार कय–विकय किया गया इसकी जानकारी अप्रार्थी कम 3 को नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी कम 3 की हद तक कार्यवाही खारिज फरमाने की कृपा करें।

वाद पत्र वादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल लैण्ड होल्डर उसमें संलग्न दस्तावेजात, जवाबदावा प्रतिवादी एवं लेटेस्ट मौका स्थिति एवं रिकार्ड की लेटेस्ट मौका स्थिति एवं रेकार्ड की लेटेस्ट रिपोर्ट द्वारा तहसीलदार मांगरोल दिनांक 14.09.2018 का भली प्रकार अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल लैण्ड होल्डर की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.09.2018 की अनुसार ग्राम मांगरोल की आराजी खसरा नं0 1046 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 1047 रकबा 1.08 है0, खसरा नं0 1048 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 1049 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 1050 रकबा 0.12 है0 किता 5 रकबा 1.79 है0 की रेकार्ड एवं मौका स्थिति की जांच मौके पर नये व पुराने रेकार्ड से की गई। बाद जांच पाया कि वर्तमान में भूमि का रकबा वर्तमान सेटलमेंट से पूर्व के नक्शे के मुताबिक ही मौके पर रकबा है। वर्तमान में नक्शा लट्ठा में रकबा बढा हुआ है जो कि मौका के मुताबिक काल्पनिक है। इस प्रकार पूर्व में दर्ज शुदा यह प्रकरण जो कि दिनांक 28.09.2015 को दर्ज किया है, कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः मूल प्रार्थना पत्र आर0एल0आर0 एक्ट 1955 की धारा 136 के तहत जवाब प्रतिवादीगण समस्त दस्तावेजात एवं अंतिम जांच रिपोर्ट मौका द्वारा राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल की रोशनी में यह प्रार्थना पत्र तथ्यों से परे एवं सारहीन होने के फलस्वरूप खारिज किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में पूर्व में दिनांक 28.09.2015 को जो स्थगन दर्ज है, जिसे स्वतः ही निस्प्रभावी समझा जावें। तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये ज[illegible] आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया [illegible]